

प्रेषक

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त,
जिलाधिकारी।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2019

विषय: अपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित कर सम्मान राशि व सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की पात्रता की पुनः जांच किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-यू0ओ0-72(1)/6-सा-3-2018 दिनांक 26.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रकरण में कतिपय जनपदों से लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की सम्मान राशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिन्हें जब तक सजायाबी घोषित न कर दिया जाय तब तक कदाचित् ऐसी सम्मान राशि व सुविधाओं का रोक जाना न्यायोचित नहीं होगा।

सुवदीय,
14.06.19
(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, राजनैतिक पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद।
3. राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग।
4. गार्ड बूक

आज्ञा से,
(सूर्य कुमार)
उप सचिव।